प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाईमाधोपुर (थाना) प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।
(प्र.सू.रि.स.) 92/2023 (दिनांक) 25/4/2023
2 I (7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) 1988 धारायें
II (अधिनियम) (धाराए)
III (अधिनियम) (धाराए)
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए)
3. (क) (दिन) मंगलवार (दिनांक से) 28.03.2023 (दिनांक तक)
(ख) (पहर) (बजे से) (बजे तक)
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना) (दिनांक) (समय)
(रोजनामचा संदर्भ) (प्रविष्टि सं.) 455 (समय) 6.00 P.M.
4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी) बजानिब दिशा उत्तर दूरी करीब 72 कि0मी0
(ख) (पता) गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस)
(थाने का नाम) (जिला)
6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) श्री अब्दुल सलाम
(ख) (पिता/पति का नाम) श्री गफूर खान
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष) 40 वर्ष (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय
(ड.) (पासपोर्ट सं.)
(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)
(च) (व्यवसाय)
(छ) (पता) इस्लामपुर, गंगापुर सिटी, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

(1) शिवरतन अग्रवाल, सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण)

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

विषयः– पटटा देने के बदले रिश्वत मांगने वाले को रंगे हाथों पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी अब्दुल सलाम पुत्र गफूर खान निवासी इस्लामपुरा, गंगापुर सिटी का हूँ। मेने महानन्दपुरा, गंगापुर सिटी में खसरा नम्बर 67,64,66,455/442 में लगभग साढे छः बीघा जमीन क्रय की थी। यह जमीन हेमराज मीना निवासी सलोना, मीठालाल निवासी महानन्दपुरा व संतोष निवासी अरनिया के नाम से है। यह जमीन मैंने व मेरे पार्टनरो ने सन 2012–13 में क्रय की थी। इस जमीन की 90 ए वर्ष 2022 में करवाई थी। मैने इस जमीन पर प्लाटों के नक्से बनवा रखे है। जिसमें से मैने व मेरे पार्टनरों ने 09 प्लाटो के पटटे के बनवाने हेतु नगर परिषद, गंगापुर सिटी में लगभग 2–3 माह पूर्व आवेदन किया था। मैं शिवरतन अग्रवाल सभापति से 09 पटटे बनवाने के लिये मिला तो शिवरतन अग्रवाल सभापति गंगापुर सिटी ने मेंरी महानन्दपुरा में स्थित साडे छः बीघा जमीन के पूरे प्लाटों के पटटे बनाने की एवज में पांच लाख रूपये की मांग की। मेरे व मेरे पार्टनरों के कागजात सही है और सही काम के बदले में मैं इतनी बडी रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। अतः रिश्वत मांगने वाले सभापति शिवरतन अग्रवाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

प्रार्थी अब्दुल सलाम पुत्र गफूर खांन
निवासी इस्लामपुरा गंगापुर सिटी
पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

मोबाईल नम्बर 8078606260
दिनांक 27.03.2023

"कार्यवाही पुलिस"

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 27.03.2023 को वक्त 11:15 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री गफूर खांन, जाति मुसलमान, निवासी इस्लामपुरा, गंगापुर सिटी, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर ने उपरोक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होकर मन् सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने बताया कि मेने महानन्दपुरा, गंगापुर सिटी में खसरा नम्बर 67,64,66,455/442 में लगभग साडे छः बीघा जमीन क्रय की थी। यह जमीन हेमराज मीना निवासी सलोना, मीठालाल निवासी महानन्दपुरा व संतोष निवासी अरनिया के नाम से है। यह जमीन मैंने व मेरे पार्टनरो ने सन 2012–13 में क्रय की थी। इस जमीन की 90 ए वर्ष 2022 में करवाई थी। मैने इस जमीन पर प्लाटों के नक्से बनवा रखे है। जिसमें से मैने व मेरे पार्टनरों ने 09 प्लाटो के पटटे के बनवाने हेतु नगर परिषद, गंगापुर सिटी में लगभग 2–3 माह पूर्व आवेदन किया था। मैं शिवरतन अग्रवाल सभापति से 09 पटटे बनवाने के लिये मिला तो शिवरतन अग्रवाल सभापति गंगापुर सिटी ने मेंरी महानन्दपुरा में स्थित साडे छः बीघा जमीन के पूरे प्लाटों के पटटे बनाने की एवज में पांच लाख रूपये की मांग की। मेरे व मेरे पार्टनरों के कागजात सही है और सही काम के बदले में मैं इतनी बडी रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ एवं परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न नगर परिषद गंगापुर सिटी में उक्त खसरा नम्बरों के पटटो के आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र, रसीद व नक्शा ट्रेस की स्वंय प्रमाणित प्रति पेश की। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वती लेन–देन का पाया जाता है। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के करवाने के सम्बन्ध में परिवादी अब्दुल सलाम ने बताया की मैंने मेरे स्तर से जानकारी की है चैयरमेन दिनांक 28.03.2023 को सुबह 09.00 ए.एम के आस–पास उसके आवास पर ही मिलेगा। इस पर कार्यालय के श्री मनोज कुमार कानि0 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मय सरकारी वाईस रिकार्डर के बुलवाकर परिवादी का कानि0 से परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मजिद दरियाप्त के बारे में अवगत कराया गया तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 28.03.2023 को सुबह मनोज जी को गंगापुर सिटी रेल्वे स्टेशन के बाहर मिल जाउंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को सरकारी वाईस रिकार्डर को चालू–बन्द करने की विधि समझाई गई एवं मनोज कुमार कानि0 को दिनांक 28.03.2023 को सुबह गंगापुर सिटी पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत दी गई तथा मनोज कुमार कानि0 से सरकारी वाईस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात समय 12:15 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से रूखसत किया गया। दिनांक 28.03.2023 को समय 06:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि0 से कार्यालय आलमारी से सरकारी वाईस रिकार्डर को निकलवाकर खाली होना सुनिश्चित कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर गंगापुर सिटी रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2023 समय 11:10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकार्य से जयपुर से वापस ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर पहुंचने पर श्री मनोज कुमार कानि0 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में बुलाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर मनोज कुमार कानि0 ने बताया की मैं ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से रवाना होकर गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां रेल्वे स्टेशन के बाहर मुझे परिवादी अब्दुल सलाम उपस्थित मिले, जिन्होने बताया की शिवरतन अग्रवाल सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी का आवास ईदगाह गंगापुर सिटी से कुछ दूरी पर स्थित है। इस पर मैं व परिवादी रेल्वे स्टेशन गंगापुर सिटी से रवाना होकर ईदगाह गंगापुर सिटी से कुछ दूरी पर रूके, जहां पर मैने एकान्त स्थान पर परिवादी को सरकारी वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द कर शिवरतन अग्रवाल सभापति के आवास पर रवाना किया था व मैं भी सभापति के आवास के आस–पास मुकीम हो गया था। इसके लगभग आधे घन्टे बाद परिवादी मेरे पास आया, जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर चैयरमेन के आवास पर पहुंचा जहां पर मुझे चैयरमैन साहब उनके आवास पर मिले मैने उनसे कहा कि पहले भी दो फाईल रोक दी और अब ये नौ फाईल लगाई है और यु कह रहे है कि सब काम हो गया चैयरमैन साहब ने रोक दी मिलने की बौली, मैने कहा मिल लुंगा तो चैयरमैन साहब ने कहा कि नही एक्चुअल में लेआउट पास नही है ना उसका मास्टर प्लान, फिर मैन कहा कैलास जी का तो तो पटटा बन गया है ना उसका कैसे बना, फिर लेआउट पास नही था तो फिर मैने चैयरमेन साहब ने कहा की नही तो जमीन का होगा लेआउट तो पूरा पास होगा ना एक बार में तो मैने उनसे पूरी साडे 6 बीघा जमीन के पटटे बनवाने की बात करी तो उन्होने मेरे से पांच लाख रूपये की मांग की। इस पर परिवादी ने मुझ मनोज कानि को बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच लाख रूपये की व्यवस्था करने में मुझे समय लगेगा, मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था दिनांक 07.04.2023 को सुबह तक कर लूंगा। गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर

की दूरी भी काफी है। आप लोग उक्त दिनांक को गंगापुर सिटी आ जाना मैं आपको गंगापुर सिटी ही मिल जाउंगा। इस पर मन कानि0 द्वारा जरिये दूरभाष आपको अवगत करवा दिया गया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कुमार कानि0 से सरकारी वाईस रिकार्डर प्राप्त कर रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन की वार्ता की रिकोर्डिंग को सुनी गई तो आरोपी द्वारा परिवादी से पांच लाख रूपये रिश्वत के मांग करना स्पष्ट पाई गई। तत्पश्चात दिनांक 07.04.2023 समय–8:15 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मेरे पास शिवरतन अग्रवाल सभापति को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो चुकी है। मैं आज नगर परिषद गंगापुर सिटी के आयुक्त से मेरे पटटो पर हस्ताक्षर करवाकर आप से संपर्क कर लूंगा। रमजान का महिना होने के कारण मैंने रोजे रख रखे है इसलिये मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता आप अपनी टीम को लेकर गंगापुर सिटी आ जाओ मैं आपको रिश्वती राशि सहित गंगापुर सिटी मिल जाउंगा। इस पर उसी दिन समय 08:30 ए.एम. ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष उप खण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर से वार्ता कर कार्यालय हाजा के श्री रामकेश कानि. को मुनासिब हिदायत कर उपखण्ड कार्यालय सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया गया, जो समय 09:30ए.एम. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई सवाई माधोपुर से दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया, श्री रामकेश कानि0 के हमराह आये हुए स्वतंत्र गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पूछा तो उन्होने अपने नाम क्रमशः श्री कुलदीप शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, उम्र 23 वर्ष, जाति ब्राहम्मण, निवासी ग्राम बहतेड, हाल निवासी क्वार्टर नम्बर जी–16, मानटाउन सवाई माधोपुर, हाल स्टेनो ग्राफर, उपखण्ड कार्यालय सवाई माधोपुर एवं श्री सागर मल मीणा पुत्र श्री चतरू लाल मीणा, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम बोरिफ, पुलिस थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर, हाल वरिष्ठ सहायक, उपखण्ड कार्यालय सवाईमाधोपुर होना बताया। स्वतंत्र गवाहान को जिन्हे कार्यवाही के सम्बन्ध में संक्षिप्त हालात के बारे में अवगत कराकर बाद हिदायत कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलवाकर उक्त ट्रेप कार्गवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया एवं श्री रामकेश कानि. से मालखाने से फिनॉफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड में रखवाया गया एवं रामकेश कानि. के दोनो हाथ साबुन पानी से साफ करवाये गये एवं कार्यालय की आलमारी से सरकारी वाईस रिकार्डर को श्री मनोज कुमार कानि. से निकलवाकर आवश्यक हिदायत देकर उसके पास सुरक्षित रखवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री जुगलाल कानि, श्री मनोज कुमार कानि., श्री भोलाराम कानि., श्री हम्मीर सिंह कानि0 मय ट्रेप बाक्स लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित प्राईवेट वाहन के एवं श्री रामकेश कानि., श्री राजवीर सिंह कानि., श्री कुलदीप शर्मा स्वतंत्र गवाह, श्री सागर मल मीना स्वतंत्र गवाह मय सरकारी बोलेरो मय चालक संजय कुमार कानि. के ट्रेप कार्यवाही हेतु गंगापुर सिटी के लिये रवाना हुआ। समय 11:30 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर गंगापुर सिटी के पास धून्धेश्वर धाम रोड के पास पहुंचा एवं परिवादी से संपर्क किया तो परिवादी ने बताया मैं एक–दो घंटे बाद आपके पास आ रहा हूँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के धून्धेश्वर धाम रोड के पास पेट्रोल पम्प के पीछे मुकीम हुआ। समय 01:30 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और पूछने पर श्री मनोज कुमार कानि0 द्वारा दिनांक 28.03.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतायी गयी बातो की ताईद करते हुये बताया कि परिवादी ने बताया कि आज मैं आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच लाख रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं समय 4.30 पी.एम के आस पास आयुक्त के निवास से पटटो पर हस्ताक्षर होने के बाद लेकर आउंगा, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ जाउंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री अब्दुल सलाम से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई एवं वक्त सत्यापन वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को लेपटॉप में सरकारी वाईस रिकार्डर को अटैच करवाकर सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुनाये गये एवं को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथां परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 02:00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने आरोपी शिवरतन अग्रवाल, सभापति, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपने पास से पांच–पांच सौ रूपये की कुल पचास–पचास हजार की 10 गडडीयां अर्थात कुल 5,00,000–रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्लास्टिक की थैली में से निकालकर पेश किये। इस पर सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा श्री रामकेश, कानि. 298 से मंगवाकर एक अखवार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवा कर रामकेश कानि0 से उपरोक्त सभी नोटो की 10 गडडीयों पर एवं भलीभांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया एवं रामकेश कानि0 से उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10 गडडी नोटों की को एक प्लास्टिक की थैली में रखवायी गयी एवं इसके बाद प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बोक्स को मंगवाकर उसमें रखे मग को स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप शर्मा से साफ पानी मंगवाकर सोडियम कार्वोनेट के डिब्बे में से एक चम्मच सोडियम कार्वोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल में श्री रामकेश कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है, के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबो कर धुलवाया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, इस प्रकार दृष्टान्त दिलवाकर सोडियम कार्वोनेट पाऊडर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का

महत्व दोनों गवाहान एवं हाजरीन को समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। श्री रामकेश कानि. से मग के मिश्रण को फिंकवाया गया। अखबार जिस पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है को जलवाकर नष्ट करवाया गया एवं मग को साबुन पानी से धुलवाया गया। श्री रामकेश कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे एवं रिश्वत राशि सहित यथा स्थान पर ही रूकने की हिदायत दी गई। फर्द हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित को पढ कर सुनाई गई, पढ, सुन, समझ, सही मान कर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04:00 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने बताया कि मैं मेरे पटटो पर हस्ताक्षर होने के बाद आयुक्त के निवास पर लेने के लिये जा रहा हूँ। मैं वापस यहीं आपके पास आ जाउंगा। इस पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम को आवश्यक हिदायत कर आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के निवास पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि मेरे पटटो पर आयुक्त के हस्ताक्षर हो गये हैं। मैं पटटो को आयुक्त के निवास से लेकर अपने घर पर रखकर आया हूँ, अब पटटो पर केबल सभापति के हस्ताक्षर होना बाकी है। मैंने मेरे स्तर से जानकारी की तो सभापति कहीं बाहर गये हुये है, जो देर रात तक आयेंगे। तत्पश्चात समय 06:45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी मय रामकेश कानि मय परिवादी श्री अब्दुल सलाम के प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो के ट्रेप कार्यवाही के लिये गंगापुर सिटी में गोपनीय रूप से मुकीम होने के लिये रवाना होकर समय 07:15 पी.एम. होटल मंगलम गंगापुर सिटी पहुंचा। रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच लाख रूपये एवं फिनोफ्थीन पाउडर की डिब्बे जो रामकेश कानि0 के पास सुरक्षित रखे हुये को रामकेश कानि0 के पास ही सुरक्षित रखवायी गयी। तत्पश्चात समय 08:00 पी.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर दिनांक 28.03.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी अब्दुल सलाम एवं आरोपी शिवरतन अग्रवाल सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी के मध्य हुई जो सरकारी वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है को लेपटाप में अटेच करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर के माध्यम से परिवादी श्री अब्दुल सलाम व गवाहान के समक्ष सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्त्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव सेन डिस्क कम्पनी का न्यायालय हेतु तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क "A" को मालखाना प्रभारी श्री जुगलाल कानि. नं. 459 को सुपुर्द कर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 08.04.2023 समय 12:15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने बताया की मैं सुबह जल्दी ही आरोपी शिवरतन अग्रवाल सभापति के बारे में मालूमात कर आपके पास आ जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात उसी दिन समय 08:10 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम होटल मंगलम गंगापुर सिटी में उपस्थित आया। जिसे होटल कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08:30 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैने मेरे स्तर से सभापति शिवरतन अग्रवाल के बारे में जानकारी की तो वह अभी उसके आवास पर ही है। मेरे पटटो से संबंधित पत्रावलीयां जिन पर सभापति के हस्ताक्षर होने है को साथ लेकर आया हूँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सागर मल मीना से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नही पाई गई एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को सरकारी वाईस रिकार्डर चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर आवश्यक हिदायत देकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया एवं कानि. रामकेश के पास पूर्व से सुरक्षित रखी रिश्वती राशि पांच लाख रूपये जो एक प्लास्टिक की थैली में रखे हुये है। उक्त थैली के उपर भी कानि. रामकेश से फिनाफ्थीन पाउडर लगवाकर उक्त थैली मे रखी रिश्वती राशि पांच लाख रूपये को थैली सहित परिवादी अब्दुल सलाम को सुपुर्द की गई एवं परिवादी को समझाईस की गई की जब भी आरोपी रिश्वत की राशि ग्रहण करे तो रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से कॉल कर ईशारा करें । इसके पश्चात श्री रामकेश कानि0 के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद समस्त ट्रेप पार्टी को होटल कक्ष में बुलाकर समस्त ट्रेप पार्टी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके पश्चात परिवादी श्री अब्दुल सलाम को मय रिश्वती राशि की थैली सहित परिवादी के स्वंय के प्राईवेट वाहन मय मनोज कुमार कानि0 को रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। श्री रामकेश कानि0 को मय फिनोफ्थलीन के डिब्बे सहित आवश्यक हिदायत देकर होटल में छोडा गया। तत्पश्चात समय 08:55 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवानाशुदा परिवादी श्री अब्दुल सलाम व मनोज कुमार कानि0 के पीछ–पीछे आरोपी सभापति के आवास से कुछ दूरी पहले पहुंचा, जहां पर परिवादी मय मनोज कुमार कानि. के आरोपी के आवास में अन्दर प्रवेश करते हुये दिखाई देने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराहीयान को अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के मुकर्रर ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 09:45 ए.एम. पर परिवादी अब्दुल सलाम मय मनोज कुमार कानि0 सभापति के निवास स्थान से

बाहर आये एवं बिना रिश्वती स्वीकृति के ईशारे के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं व मनोज कानि. मेरे स्वंय के वाहन से रवाना होकर शिवरतन अग्रवाल सभापति के आवास से कुछ दूर पहले पहुंचे जहां पर मनोज कुमार कानि. ने मेरे पास रखे हुये सरकारी रिकार्डर को चालू कर दिया था। इसके बाद मै व मनोज कुमार कानि0 सभापति के आवास पर पहुंचे। मनोज कुमार कानि अपनी उपस्थिति छिपाते हुये सभापति के आवास के आस–पास मुकीम हो गये थे। मैं सभापति के आवास के अन्दर पहुंचा, जहां पर सरकारी सभापति साहब मुझे उपस्थित मिले तो मैने उन्हे मेरे मेरे पार्टनरों की पटटो की पत्रावली देते हुये हस्ताक्षर करने के लिये कहा तो उन्होने मेरे पटटो की पत्रावलीयां अपने पास रख ली मैने उन्हे रिश्वती राशि पांच लाख जो प्लास्टिक की थैली में रखे हुये थे उनको देने लगा तो उन्होने कहा की इनको आप मेरे होटल पर मैनेजर को दे देना, चूंकि मैं सभापति की गंगापुर सिटी स्थित होटल पर्ल को जानता हूँ। इस पर मैं व मनोज कानि. सभापति के आवास से मेरे प्राईवेट वाहन से रवाना होकर सभापति के होटल पर्ल पर पहुंचे। जहां पर मैनेजर के मौजूद नही होने से सभापति के मैने फोन किया तो उन्होने रिसिव नही किया। इस पर मैं व मनोज कुमार कानि0 रवाना होकर सभापति के आवास पर पहुंचे। सभापति के आवास के आस–पास मनोज कुमार को प्राईवेट वाहन के छोडकर मै अन्दर गया तो उनके कर्मचारी ने कहा साहब अपने आप आपको फोन कर लेंगे। इस पर मैं वहां से मनोज कुमार कानि के पास पहुंचा जिन्होने वाईस रिकार्डर मेरे से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया एवं हम दोनो सभापति के निवास स्थान से रवाना होकर बिना रिश्वती स्वीकृति ईशारे के आपके पास आ गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप पार्टी सदस्यो को अपने बुलाकर रवाना होकर होटल मंगलम गंगापुर सिटी पहुंचा। रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच लाख रूपये को रामकेश कानि0 को सुपुर्द कर कानि0 रामकेश कानि. के पास सुरक्षित रखवायी गयी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. मनोज से सरकारी वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त पर दिनांक 08.04.2023 को परिवादी अब्दुल सलाम व शिवरतन अग्रवाल सभापति एवं अन्य के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो वार्ता रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई तत्पश्चात सरकारी वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षार्थ कानि. मनोज के पास रखवाया गया। तत्पश्चात समय 10:30 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब भी सभापति शिवरनत अग्रवाल मेरे से सम्पर्क करेगा या मेरा उनसे सम्पर्क होगा तो मैं आपके पास आ जाउंगा या जरिये दूरभाष आपसे सम्पर्क कर लूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अब्दुल सलाम को आवश्यक हिदायत देकर होटल मंगलम गंगापुर सिटी से रूख्सत किया गया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के गंगापुर सिटी में ही मुकिम हुआ। तत्पश्चात 07:20 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम होटल मंगलम गंगापुर सिटी में उपस्थित आया एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरा सभापति से सुबह के बाद कोई सम्पर्क नही हुआ, वो मोबाईल भी रिसीव नही कर रहे हैं, हो सकता है दिनांक 09.04.2023 को गंगापुर सिटी में सैनी समाज की सभा है इसमें वो विजी है एवं सुनने में आया हैं कि उनकी पत्नि की तबियत भी खराब हैं इसलिये वो मोबाईल रिसीव नही कर पा रहे हो, अगर मैं एक ही दिन में बार–बार उनके पास जाउंगा तो उनको मेरे उपर शक हो सकता है, इसलिये मैं कल सुबह एक बार फिर सभापति शिवरनत अग्रवाल से मेरे कार्य एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि के बारे में सम्पर्क करने की कोशिश करूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अब्दुल सलाम को आवश्यक हिदायत देकर होटल मंगलम गंगापुर सिटी से रूख्सत किया गया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के गंगापुर सिटी में ही मुकिम हुआ। तत्पश्चात दिनांक दिनांक 09.04.2023 को समय 07:30 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैने मेरे स्तर से सभापति शिवरतन अग्रवाल के बारे में जानकारी की तो वह अभी उसके आवास पर ही है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सागर मल मीना से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नही पाई गई एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को सरकारी वाईस रिकार्डर चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर आवश्यक हिदायत देकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया एवं कानि. रामकेश के पास पूर्व से सुरक्षित रखी रिश्वती राशि पांच लाख रूपये जो एक प्लास्टिक की थैली में रखे हुये है। उक्त थैली मे रखी रिश्वती राशि पांच लाख रूपये को थैली सहित परिवादी अब्दुल सलाम को सुपुर्द की गई एवं परिवादी को समझाईस की गई की जब भी आरोपी रिश्वत की राशि ग्रहण करे तो रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित मुकर्रर ईशारा करें। इसके पश्चात श्री रामकेश कानि0 के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद समस्त ट्रेप पार्टी को होटल कक्ष में बुलाकर समस्त ट्रेप पार्टी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके पश्चात परिवादी श्री अब्दुल सलाम को मय रिश्वती राशि की थैली सहित परिवादी के स्वंय के प्राईवेट वाहन के रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। श्री रामकेश कानि0 को मय फिनोफ्थलीन के डिब्बे सहित आवश्यक हिदायत देकर होटल में छोडा गया। समय 07:45 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर परिवादी श्री अब्दुल सलाम व मनोज कुमार कानि0 के पीछ–पीछे आरोपी सभापति के आवास से कुछ दूरी पहले पहुंचा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराहीयान को अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के मुकर्रर ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 08:20 ए.एम. पर परिवादी अब्दुल सलाम सभापति के निवास स्थान के बाहर से बिना रिश्वती स्वीकृति के ईशारे के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं मेरे स्वंय के वाहन से रवाना होकर शिवरतन

अग्रवाल सभापति के आवास के बाहर पहुंचकर शिवरतन अग्रवाल सभापति के बारे में मालूमात की तो आवास नही होना ज्ञात हुआ, इस कारण मैने सरकारी वाईस रिर्काडर चालू नही किया। मैं बाहर ही खडा था, कुछ देर बाद अचानक सभापति शिवरतन अग्रवाल मोटरसाईकिल से आया जिससे मैने अपने पटटो पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने कहा की मैं कर दूंगा, कर दूंगा एवं मोटरवाईकिल लेकर चला गया। आज सैनी समाज की गंगापुर सिटी में सभा है। इसलिये सभापति शिवरतन अग्रवाल ज्यादा व्यस्त है। अब मैं शिवरतन अग्रवाल सभापति से 2–4 दिन तक कोई बात नही करूंगा, अगर मैं उससे बार बार बात करूंगा या उसके आवास पर जाउंगा तो उसको मेरे उपर शक हो जावेगा। चूंकि मैं पिछले दो दिन से लगातार आयुक्त व सभापति कें पास फोन कर रहा हूँ एवं आरा जा रहा हूँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी के रवाना होकर होटल मंगलम पहुंचा। तत्पश्चात समय 08:35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी अब्दुल सलाम ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच लाख रूपये को रामकेश कानि0 को सुपुर्द कर कानि0 रामकेश कानि. के पास सुरक्षित रखवायी गयी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से सरकारी वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त पर कर अपने पास सुरक्षित रखा गया एवं परिवादी अब्दुल सलाम को कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुये मुनासिफ समझाईस की गई की जब भी आरोपी शिवरतन अग्रवाल सभापति आप से सम्पर्क करें तो आप मुझे जरिये दूरभाष या कार्यालय में आकर सुचित करे तथा परिवादी को होटल मंगलम से रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 08:45 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप प्रिन्टर मय रामकेश कानि. के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि पांच लाख रूपये व फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा एवं बजह सबूत माल के होटल मंगलम गंगापुर सिटी से मय सरकारी/प्राईवेट वाहनों के ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर रवाना होकर समय 11:15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान के सरकारी/प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बाक्स, लेप–टोप, प्रिन्टर आदि उपकरण मय शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क A शील्ड शुदा मय रामकेश कानि. के पास प्लास्टिक की थैली मे रखी रिश्वति राशि पांच लाख रूपये के गंगापुर सिटी से रवानाशुदा ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क A को मालखाना प्रभारी जुगलाल कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गई तथा रामकेश कानि. के पास प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित रखी रिश्वति राशि पांच लाख रूपये को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाने में रखवायी गयी। तत्पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान सागर मल मीना व कुलदीप शर्मा को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु एवं जब भी कार्यवाही हेतु आवश्यकता होगी तब उपस्थित आने की हिदायत कर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से रूखस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.04.2023 को समय 08:10 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम पुत्र गफूर खान जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी इस्लामपुर, गंगापुर सिटी, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक सभापति शिवरतन अग्रवाल को लग चुकी है, क्योंकि दिनांक 08.04.2023 को मैं सभापति के आवास पर गया तब मेरे मिलने वाले भाग्येश जैन भी वहां पर आ गया था। सभापति के आवास पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है। सभापति एवं मेरे मिलने वाले भाग्येश जैन के बीच अनबन है एवं मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की जानकारी मेरे मिलने वाले भाग्येश जैन को भी है, हो सकता है सभापति ने मेरे मिलने वाले भाग्येश जैन को सीसीटीवी कैमरे में देख लिया हो तथा दिनांक 09.04.2023 के बाद से ही सभापति ना तो मेरा फोन रिसिव कर रहा है और नाही मेरे से मिल रहा है। मेरे व मेरे पार्टनरों की पटटे की पत्रावलीयां भी सभापति के पास ही है। उन पर भी हस्ताक्षर करके मेरे को नही दी है, और नाही मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में ना तो कोई बातचीत कर रहा है। रिश्वत मांग का सत्यापन दिनांक 28.03.2023 को हो चुका है। शंका होने के कारण अब सभापति मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। अतः रिश्वत राशि लौटाकर अग्रिम कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 07.04.2023 को रिश्वत में दी जाने हेतु प्रस्तुत की गई पांच लाख रूपये की राशि को मालखाना से श्री जुगलाल कानि. से निकलवायी जाकर नोटो को पाउडर मुक्त कराकर परिवादी श्री अब्दुल सलाम को लौटायी जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08:30 ए. एम. पर तलविदा स्वतंत्र गवाह श्री सागर मल मीना वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर एवं श्री कुलदीप शर्मा स्टेनो ग्राफर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिन्हे परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में अगवत करवाकर कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08:45 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे सरकारी वाईस रिकार्डर को निकालकर परिवादी अब्दुल सलाम एवं आरोपी शिवरतन अग्रवाल सभापति नगर परिषद गंगापुर के मध्य हुई रिश्वत संबंधी वार्ता दिनांक 08.04.2023 जो सरकारी वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है को लेपटाप में सेव करवाकर रिश्वत संबंधी वार्ता को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी व गवाहान के समक्ष सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप में सेव रिश्वत संबंधी वार्ता की एक पेन ड्राईस सेन डिस्क कम्पनी तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क "B" को मालखाना प्रभारी श्री जुगलाल कानि. नं. 459 द्वारा जमा मालखाना करवायी गयी तथा आईओ प्रति डीवीडी को कागज की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। तत्पश्चात समय 11.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत

को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 ACB SMR (45) को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल सलाम व स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से परिवादी श्री अब्दुल सलाम पुत्र गफूर खान जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी इस्लामपुर, गंगापुर सिटी, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर से आरोपी शिवरतन अग्रवाल सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी के महानन्दपुरा, गंगापुर सिटी में खसरा नम्बर 67,64,66,455/442 में लगभग साढे छः बीघा जमीन जो की हेमराज मीना निवासी सलोना, मीठालाल निवासी महानन्दपुरा व संतोष निवासी अरनिया के नाम से है। उक्त जमीन पर परिवादी व परिवादी के पार्टनरो ने 09 प्लाटो के पटटे के बनवाने हेतु नगर परिषद, गंगापुर सिटी में आवेदन करने पर महानन्दपुरा में स्थित साडे छः बीघा जमीन के पूरे प्लाटों के पटटे बनाने की एवज में पांच लाख रूपये की मांग की। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 28.03.2023 को शिवरतन अग्रवाल सभापति, नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा पांच लाख रूपये की गई तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 08.04.2023 व 09.04.2023 को रिश्वत राशि प्राप्त नही की गई। परिवादी द्वारा पेश दिनांक 14.04.2023 के प्रार्थना–पत्र के अनुसार परिवादी द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक सभापति शिवरतन अग्रवाल को लग चुकी है, क्योंकि दिनांक 08.04.2023 को परिवादी सभापति के आवास पर गया तब परिवादी के मिलने वाले भाग्येश जैन भी वहां पर आ गया था। सभापति के आवास पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है। सभापति एवं परिवादी के मिलने वाले भाग्येश जैन के बीच अनबन है एवं परिवादी द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की जानकारी परिवादी के मिलने वाले भाग्येश जैन को भी थी, सभापति ने परिवादी के मिलने वाले भाग्येश जैन को सीसीटीवी कैमरे में देख लिया हो तथा दिनांक 09.04.2023 के बाद से ही सभापति ना तो परिवादी का फोन रिसिव किया और नाही परिवादी से मिला। सभापति को परिवादी उपर शंका होने के कारण सभापति परिवादी से रिश्वत राशि नही लेगा। आरोपी शिवरतन अग्रवाल, सभापति, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) 1988 के वकू में आना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शिवरतन अग्रवाल, सभापति, नगर परिषद गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 92/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 730-33 दिनांक 25.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

25.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।